न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 798–एक/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–3–2010– पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 467/2008–09 अपील

लक्ष्मीनारायण पुत्र विहारीलाल
ग्राम मगरोनी तहसील नरबर
जिला शिवपुरी म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1– गणेशप्रसाद पुत्र विहारीलाल
ग्राम मगरोनी तहसील नरबर जिला शिवपुरी
2– रमेश चंद पुत्र बिहारी लाल
ग्राम मगरोनी तहसील नरबर --- अनावेदकगण

(श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक – अनावेदकगण)

आ दे श

(दिनांक 02 जनवरी,2016)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 467/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–3–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार नरबर के प्रकरण कमांक 28/2006–07 अ 27 में अंकित अनुसार उभय पक्ष ने

पीपलखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 501, 270, 271/1 एंव ग्राम मगरोनी में भूमि सर्वे नंबर 480 के बटवारे हेतु सहमति आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 19-4-2007 से बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील कमांक 56/2008-09 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27-5-09 से अपील इस आधार पर अमान्य कर दी कि सहमति बटवारे के विरूद्ध अपील नहीं होती हैं। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 467/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-3-2010 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि बटवारा नियमों का पालन किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर देकर विधिसंगत निर्णय लिया जाय। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि विचारण न्यायालय का आदेश सहमति पर बटवारे वावत् है सहमति के बटवारे पर कानून में अपील बर्जित है इस पर अपर आयुक्त व्दारा गौर न करने में त्रुटि की है। धोखे से सहमति लेने का बताया गया तथ्य अनुमानों पर आधारित है । तहसील न्यायालय ने विधिवत् कार्यवाही कर आदेश पारित किया है जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्थिर रखा है जिसे द्वित्तीय अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करके न्यायोचित कार्य नहीं किया है। प्रार्थी अभिभाषक ने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29-3-2010

को निरस्त करने की प्रार्थना की। अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक-1 की बटवारे पर सहमति नहीं थी तभी तो उसके व्दारा अपील की गई है। अनावेदक के नाम की एक सर्वे नंबर की भूमि स्वअर्जित थी जिसे भी बटवारे में सम्मिलित कर लिया गया जबकि स्वअर्जित संपत्ति पर अनावेदक क्र-1 की कोई सहमति नहीं है। उन्होंने निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से इस प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या सहमति से बटवारे पर अपील बर्जित है? तथा क्या बटवारे में अनावेदक की स्वअर्जित भूमि को भी सम्मिलित कर बटवारा किया गया है?

1. यदि दोनों पक्षों के मध्य बैधानिक सहमति हो जाती है तथा समझौता पत्र के आधार पर न्यायालय व्दारा आदेश पारित किया जाता है, उसके विरूद्ध अपील ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु यदि अपील में सहमति पर आक्षेप किया जाता है तब उस स्थिति में अपील ग्राह्य की जा सकती है। इस प्रकरण में अनावेदक ने सहमति पर आक्षेप किया है। अतः अपील ग्राह्य योग्य है।

इस सम्बन्ध में पूर्व से राजस्व निर्णय भी है। समझौता पत्र विवादास्पद है गुणदोषों पर अपील का विनिचश्य किया जाएगा। चरण सिंह विरूद्ध पूरन सिंह, 2011 रा0नि0 111 से अनुसरित।

अनावेदक का यह तर्क है कि बटवारे में उसकी स्वअर्जित भूमि को भी सम्मिलित कर बटवारा करने के कारण उसने अपील की थी । अनावेदक व्दारा केवल पैत्रिक व सामिलाती भूमि के लिये सहमति दी गई थी, परन्तु उसकी स्वअर्जित भूमि भी बटवारे में सम्मिलित कर ली गई है। अनावेदक व्दारा बताया गया यह तथ्य विस्तृत रूप से जांच एंव साक्ष्यों से प्रमाणित होने वाला विषय है।

अतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 29-3-2010 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया है। इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। प्रकरण प्रत्यावर्तित होने से तहसील न्यायालय में उभय पक्ष को अपना दावा प्रमाणित करने तथा लेखी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29-3-2010 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 467/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-3-2010 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर